न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 146/2020 जिला दौसा ।

1. विजयसिह पुत्र रामकरण दोहिता स्व0 सेडूराम
2. भौरी देवी पुत्री सेडूराम
   जाति गुर्जर निवासी दौसा जिला दौसा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर दौसा
2. जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा
3. नगर पालिका मण्डल दौसा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल दौसा
4. आयुक्त नगर पालिका मण्डल दौसा जिला दौसा

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 07.07.2006 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री आलोक चौधरी।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 एवं 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

अपील संख्या 147/2020 जिला दौसा।

1. विजयसिह पुत्र रामकरण दोहिता स्व0 सेडूराम
2. भौरी देवी पुत्री सेडूराम
   जाति गुर्जर निवासी दौसा जिला दौसा

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर दौसा
2. जिला कलक्टर दौसा जिला दौसा
3. नगर पालिका मण्डल दौसा जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल दौसा
4. आयुक्त नगर पालिका मण्डल दौसा जिला दौसा

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर दौसा दिनांक 20.10.2008 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री आलोक चौधरी।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक– 28.07.2021

1. अपील संख्या 146/2020 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर दौसा क्रमांक आर 11 जीपी (29) 2006/3824–25 दिनांक 07.07.2006 एवं अपील संख्या 147/2020 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर दौसा क्रमांक आर 11 जीपी (29) 2006/5697 दिनांक 20.10.2008 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु समान होने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है।
2. प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा उक्त दोनों अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि पूर्व खसरा नम्बर 43 रकबा 03 बीघा 7 बिस्वा भूमि ग्राम बीचलवास तहसील दौसा में स्थित है। उक्त भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 154 रकबा 0.80 है0 है। उक्त भूमि अपीलार्थी संख्या एक के नाना एवं अपीलार्थी संख्या दो के पिता स्व0 सेडूराम को दिनांक 06.07.1969 को रा0 लै0 रे0 एक्ट कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1957 के तहत आवंटित की गई एवं स्व0 सेडूराम को उक्त भूमि की खातेदारी भी प्राप्त हो गई। कथित रूप से नारायणसिंह, सांवलराम आदि ने उक्त आवंटन की वैधता को जिला कलेक्टर दौसा के यहां चुनौति दी थी जिस पर जिला कलेक्टर दौसा ने दिनांक 27.09.2001 को उक्त आवंटन को रद्द कर दिया था। इसके पश्चात अपीलांट द्वारा एक अपील संख्या 60/2001 न्यायालय श्रीमान (भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

कैम्प दौसा) में प्रस्तुत की एवं न्यायालय श्रीमान ने दिनांक 30.7.2004 को माननीय जिला कलक्टर दौसा का आदेश दिनांक 27.09.2001 को निरस्त कर दिया एवं स्व0 सेडूराम को जो आवंटन दिनांक 6.7.1969 को हुआ था उसे वैध करार दिया। इस प्रकार से स्व0 सेडूराम को जो आवंटन हुआ व खातेदारी अधिकार दिये गये थे वे यथावत रहे। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि दिनांक 27.09.2001 को जिला कलक्टर दौसा ने जो आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की उसके पश्चात पटवारी हल्का, गिरदावर ने जल्दबाजी में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी से हटाकर उक्त भूमि को सिवायचक राजकीय भूमि में रूप में अंकित कर दिया। श्रीमान के दिनांक 30.7.2004 के आदेशो के विरूद्ध दो निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिनमें से एक अपील सरकार बनाम विजयसिंह व दूसरी अपील नारायण सिंह बनाम विजयसिंह प्रस्तुत की गई है। इन अपीलो में नारायणसिंह बनाम विजयसिंह की अपील का मु0नं0 2004/12475 दिनांक 20.5.2009 को खारिज हो गई जबकि दूसरी अपील सरकार बनाम विजयसिंह संख्या 2004/4064 अभी तक लम्बित है जिसमें आगामी तारीख पेशी 26.08.2009 नियत है। जिला कलक्टर दौसा ने इस भूमि को सिवाय चक मानते हुए दिनांक 07.07.2006 को अपने आदेश क्रमांक 3824–25 के द्वारा नगर पालिका मण्डल दौसा को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव अन्य भूमियों के साथ प्रेषित किया। तत्पश्चात् वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 154 रकबा 0.80 है0 को आदेश क्रमांक 11 जीपी (29) 2006/5697 दिनांक 20.10.2008 के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत नगरपालिका मण्डल दौसा को हस्तान्तरित करने के आदेश पारित कर दिये गये। उक्त दोनों आदेश दिनांक 07.07.2006 एवं 20.10.2008 के विरूद्ध अपील क्रमशः 146/2020 व 147/2020 प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 व 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टस संख्या 03 व 04 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपील की सुनवाई के दौरान अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओ. 41 आर. 27 सीपीसी प्रस्तुत कर दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लिए जाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 31.12.2019 व दुरूस्ती आदेश दिनांक 29.01.2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि को रिकॉर्ड पर लिया गया।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलार्थी संख्या एक के नाना एवं अपीलार्थी संख्या दो के पिता स्वर्गीय सेडूराम को दिनांक 06.07.1969 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत हुआ था तथा खातेदारी भी प्राप्त हो गई थी। जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित किये अपीलाधीन दोनों आदेशों के समय भी आवंटन एवं खातेदारी न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 30.07.2004 के अनुसार यथावत थी फिर भी जिला कलक्टर दौसा द्वारा वादग्रस्त भूमि को सिवायचक मानते हुए नगरपालिका मण्डल को हस्तान्तरित करने के आदेश पारित कर दिये गये जो अवैध है। माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.07.2004 के विरूद्ध दो निगरानियां क्रमशः सरकार बनाम विजयसिंह व नारायणसिंह बनाम विजयसिंह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई थी। जिनमें से नारायणसिंह बनाम विजयसिंह निगरानी संख्या 12475/04 दिनांक 20.05.2009 को खारिज हो गई थी एवं दूसरी निगरानी सरकार बनाम विजयसिंह भी नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या नजरसानी एल आर/3079/17/जिला दौसा विजय सिंह बनाम सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2019 संशोधित आदेश दिनांक 29.01.2020 के द्वारा खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का आवंटन एवं खातेदारी यथावत है तथा वर्तमान में कहीं चुनौतीग्रस्त नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसे नगरपालिका मण्डल को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। अतः दोनों अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाये। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.07.2006 एवं 20.10.2008 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के दोनो आदेशो की जानकारी दिनांक 07.07.2009 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस् संख्या 01 व 02 राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज थी तथा राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में भूमि को नगरपालिका मण्डल दौसा को हस्तान्तरित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः दोनों अपील खारिज की जाये।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में जो स्थिति उभर कर सामने आती है वह यह है कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.09.2001 द्वारा निरस्त कर दिये जाने से भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज कर दिया गया जबकि निर्णय दिनांक 27.09.2001 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2004 को निरस्त कर दिया गया था। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 30.07.2004 की पालना कर भूमि को पुनः आवंटी की खातेदारी में दर्ज नहीं करने से जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। निर्णय दिनांक 30.07.2004 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में दो निगरानियां क्रमशः 12475/04 एवं 4964/2004 उनवानी क्रमशः नारायण सिंह बनाम विजय सिंह व सरकार बनाम विजय सिंह प्रस्तुत की गई थीं। उक्त दोनों निगरानियां भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज कर दी गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि सिवायचक नहीं है न ही जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के समय सिवायचक भूमि थी। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 4–6 (9) राज./ग्रुप–6/2001 दिनांक 23.02.2001 के द्वारा सिवाय चक भूमियों को ही स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। हस्तगत प्रकरण में राजस्व अधिकारियों द्वारा भू अभिलेख को न्यायालय के आदेशों में आदिनांक नहीं रखने के कारण जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित हुए है। राजस्व अधिकारियों की त्रुटि के कारण सद्भावी खातेदार काश्तकार को हानि कारित नहीं की जा सकती है। वर्तमान में रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाना दृष्टिगोचर होता हो। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि सिवायचक नहीं है तथा खातेदारी की कृषि भूमि रही है। अतः जिला कलक्टर द्वारा उक्त भूमि को नगरपालिका मण्डल दौसा को हस्तान्तरित किये जाने संबंधी पारित दोनो अपीलाधीन आदेश न्यायोचित नहीं है तथा अपास्त किये जाने योग्य है एवं अपीलांट्स की दोनों अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
8. अतः अपील संख्या 146/2020 व 147/2020 स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक आर 11 जीपी (29) 2006/ 3824–25 दिनांक 07.07.2006 एवं आदेश क्रमांक आर 11 जीपी (29) 2006/5697 दिनांक 20.10.2008 को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 154 रकबा 0.80 है0 की हद तक निरस्त किये जाते है। निर्णय की एक–एक प्रति अपील संख्या 146/2020 एवं 147/2020 की पत्रावलियों के संलग्न की जाये।
9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner